न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट मोंठ झांसी।

प्रकीर्ण वाद संख्या –27/2025

जे0ओ0कोड0 यू0पी0 3567

उपस्थितः– शुभम चौधरी (उ.प्र. न्यायिक सेवा)

चन्द्रभान सिंह **बनाम** **ज्ञान सिंह आदि**

अ0सं0–41/2024
धारा –420,506 भा0दं0सं0
थाना –पूँछ,
जिला –झांसी।

दिनांकः–05.05.2026

पत्रावली पेश हुयी। पत्रावली प्रसंज्ञान हेतु नियत है। विवेचक द्वारा प्रेषित अंतिम रिपोर्ट विरूद्ध वादी मुकदमा की ओर से विरोध याचिका/आपत्ति/प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र के कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी द्वारा उक्त मुकदमा न्यायालय के आदेश पर धारा 406,420 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दर्ज कराया था। स्व0 रामस्वरूप यादव महाविद्यालय पूँछ के अध्यक्ष री ज्ञान सिंह द्वारा किशोरी लाल बच्चा लाल यादव महाविद्यालय सौमई जालौन जो रामस्वरूप यादव शिक्षा समिति से संचालित है। चूँकि प्रार्थी स्व0 रामस्वरूप यादव महाविद्यालय पूँछ एवं किशोरी लाल बच्चा लाल यादव महाविद्यालय सौमई जालौन का सन् 1998 से प्रबंधक था, तब प्रार्थी से ज्ञान सिंह यादव 2017 से दोनो महाविद्यालयों के अध्यक्ष थे, इसलिये अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने कहा सौमाई महाविद्यालय के भवन मरम्मत करवानी है। इसलिये रामस्वरूप यादव शिक्षा समिति पूँछ के खाता संख्या 2924002100005520 से विभिन्न तिथियों में ज्ञान सिंह के बताए अनुसार एवं रामस्वरूप यादव महाविद्यालय पूँछ के खाता सं0 2924002100005256 पी.एन.बी. पूँछ से धनराशि 1612000 एवं ज्ञान सिंह व ज्ञान सिंह की पत्नी एवं पुत्रियों साक्षी, शिवानी, सृष्टि, सालू के नाम के खातों में जमा करायी गई, जब काफी समय तक ज्ञान सिंह द्वारा न तो भवन की मरम्मत करायी गई और न ही निर्माण कराया गया। प्रार्थी द्वारा कई बार टोका गया तो ज्ञान सिंह व कल्पना ने प्रार्थी को जान से मारने की धमकी दी तब प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.04.2023 को उक्त रकम वापसी हेतु नोटिस दिया। तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई जवाब प्रार्थी को प्राप्त नहीं हुआ। ज्ञान सिंह आदि द्वारा उक्त धनराशि समायोजित करने का दबाव बनाया गया, परेशान होकर प्रार्थी ने घटना की सूचना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी को व जरिये रजिस्ट्री प्रेषित की जब कोई कार्यवाही नहीं हुयी तो प्रार्थी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर न्यायालय ने प्रथम सूचना दर्ज करने का आदेश पारित किया। थाना पूँछ द्वारा उक्त मुकदमें में अंतिम आख्या प्रस्तुत कर दी। विवेचक द्वारा प्रार्थी के कोई बयान अंकित नहीं किये। विवेचक द्वारा अपने मन से धारा 406 का लोप किया गया है, जिस कारण धारा 406 भा0दं0सं0 में विवेचना अनिवार्य है। इन आधारों पर अग्रिम विवेचन कराये जाने की याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दौरान विवेचना विवेचक द्वारा धारा 406 भा0दं0सं0 का लोप किया गया है। विवेचक द्वारा सी.डी. सं0 6 में वादी का बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र.सं0 अंकित किया गया है कि मैं साक्ष्य व प्रपत्र को आपको बाद में उपलब्ध करायेगें, इसके बाद विवेचक द्वारा वादी से कोई साक्ष्य या प्रपत्र प्राप्त करने के संबंध में कोई नोटिस निर्गत नहीं किया है। विवेचना में ज्ञान सिंह द्वारा चद्रभान सिंह को उधार देना दर्शित है। विवेचक द्वारा चेकों एवं खातों से संबंधित कोई जॉच या जनकारी प्राप्त नहीं की है। थाना संबंधित को निम्नलिखित बिन्दुओं के परिपेक्ष में इस प्रकरण में अग्रिम विवेचना किये जाने हेतु निर्देशित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैः–

1. विवेचक द्वारा धारा 406 भा0दं0सं0 का लोप किस आधार पर किया है?

2. वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य को विवेचना में शामिल करते हुये विवेचना निष्पादित करें।

3. विवेचक खातों के विवरण को विवेचना में शामिल करते हुये अग्रिम विवेचना निष्पादित करें।

<u>आदेश</u>

थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक **पूँछ,** जिला झांसी को आदेशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत प्रकरण में धारा 173 (8) द0प्रं0सं0 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित बिन्दुओ पर अग्रिम विवेचना कराया जाना सुनिश्चित करें तथा अपनी आख्या न्यायालय के समक्ष अन्दर 30 दिवस प्रस्तुत करें एवं न्यायालय द्वारा प्रगति आख्या मगायें जाने पर अपनी आख्या से न्यायालय को कार्यवाही में हुई प्रगति से अवगत करायेगें।

(शुभम चौधरी)
सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0
मोंठ झांसी

अभिषेक कुमार यादव
आशुलिपिक